# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2023 / डी–1276 दिनांकः–07/12/2023

## भवन निर्माण स्वीकृति पत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खसरा / भूखण्ड संख्या | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 206, 207, 208, 221, 222 व 223, योजना जेवियर आर्केड–प्रथम, जयपुर। |
| 2. | विकासकर्ता का नाम / पता | JVJ DREAM DEVELOPERS LLP, जरिये पार्टनर, श्री विजय जैन व श्री जय कुमार लोढा, 173–बी, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर। |
| 3. | भूखण्ड का क्षेत्रफल | 2549.55 व.मी. (3049.24 वर्गगज) |
| 4. | भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई | 60 फीट, 40 फीट व 40 फीट |
| 5. | लीजडीड जारी दिनांक | 30.12.2008 \| भू–उपयोगः– आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. | पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन | पुर्नगठित |
| 7. | प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन | आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। |
| 8. | वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक | श्री श्रीकृष्ण, सी.ए. / 99 / 25451 |

**अनुमोदित मानदण्डः–**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि | भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 05.12.2030 तक** प्रभावी है। | | | | |
| 2. | सैटबैक | सामने–I (60'-00" road) | पार्श्व–I (40'-00" road) | पार्श्व–II | पीछे | |
| | | 9.14 मी. | 9.14 मी. | 12.19 मी. | 9.14 मी. | |
| 3. | सकल निर्मित क्षेत्रफल | 17,283.62 व.मी. | | | | |
| 4. | बी.ए.आर. | 5.26 (13,429.81 व.मी.) | | | | |
| 5. | आच्छादित क्षेत्रफल | 38.98 प्रतिशत (993.88 व.मी.) | | | | |
| 6. | ऊँचाई | 0.90 मी. (प्लिन्थ) + 3.96 मी. (स्टिल्ट) + 36 (प्रथम से 12 तल) = **39.96 मी. (प्लिन्थ को छोडकर)** + 6 मी. (मशीन रूम) कुल 46.86 मी. | | | | |
| 7. | तलों की संख्या | (बेसमेन्ट + स्टिल्ट + 12 तल) | | | | |
| 8. | पार्किंग | कार | | स्कूटर | बस | कुल ईसीयू |
| | | सरफेस | मैकेनिकल | | | |
| | | 85 | 12 | 95 | – | 128.66 |

**तथ्यः–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रथम अनुमोदन / संशोधन | प्रथम अनुमोदन |
| 2. | समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक | 277वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 |

**अनापत्ति प्रमाण पत्रः–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अग्निशमन विभाग | अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है। |
| 2. | पर्यावरण विभाग का Consent to operate | सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 व.मी. से कम है। अतः लागू नहीं है। |
| 3. | भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग | एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 11.11.2022 के अनुसार 70 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 10.11.2030 तक है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार हैः– |

| | |
|---|---|
| 26 48 24.19 N | 75 52 33.54 E |
| 26 48 25.85 N | 75 52 33.56 E |
| 26 48 25.83 N | 75 52 35.26 E |
| 26 48 24.11 N | 75 52 35.27 E |

**सामान्य शर्तेः–**

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित / निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से

रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16. 3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड / सुविधाओं / साईन बोर्ड / दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए. आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
23. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

**विशेष शर्तेः–**

1. जोन की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2023 के अनुसार भवन निर्माण अवधि दिनांक 30.09.2023 तक देय थी। आप द्वारा जोन में दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 30.09.2024 (एक वर्ष में नियमानुसार निर्माण ना होने की स्थिति में आगामी वर्ष में भी) तक नियमानुसार पुनर्ग्रहण राशि जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत की गई। अतः प्रकरण में भवन निर्माण अवधि दिनांक 30.09.2024 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 05.12.2030 तक प्रभावी हैं।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही हैः–

| बैंक का नाम | चैक संख्या | राशि | किश्त | दिनांक | सर्विस नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|
| | 485659 | 41,65,355/– | प्रथम | 20.10.2024 | 2121002068 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P.N.B. | 485660 | 41,65,355 / — | द्वितीय | 20.07.2025 | |
| | 485661 | 41,65,355 / — | तृतीय | 20.04.2026 | |
| | 485662 | 41,65,355 / — | चतुर्थ | 20.01.2027 | |
| | 485663 | 41,65,355 / — | पंचम | 20.10.2027 | |

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

4. आप द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 12 लाख रूपये की बैंक गारन्टी (बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रान्च न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर) नम्बर 6775NDDG00009224 Dated 06.11.2023 की वैद्यता अवधि दिनांक 05.11.2027 & Claim Expiry Date 05.11.2028 का क्लेम अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात किया जावेंगा।

**संलग्नः— मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (07 मानचित्र)**

**भवदीय,**

**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,**
**भवन मानचित्र समिति (बीपी)**
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

**प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (07 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (07 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. श्री विष्णु मोहन झा, चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को पत्र क्रमांक 4658–61 दिनांक 11.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रान्च न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 12 लाख रूपये की बैंक गारन्टी 6775NDDG00009224 Dated 06.11.2023 की वैद्यता अवधि दिनांक 05.11.2027 & Claim Expiry Date 05.11.2028 तक हैं। अतः जविप्रा से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रकरण में बैंक गारन्टी लौटाई जावें।

**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,**
**भवन मानचित्र समिति (बीपी)**
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

SHEET NO-01

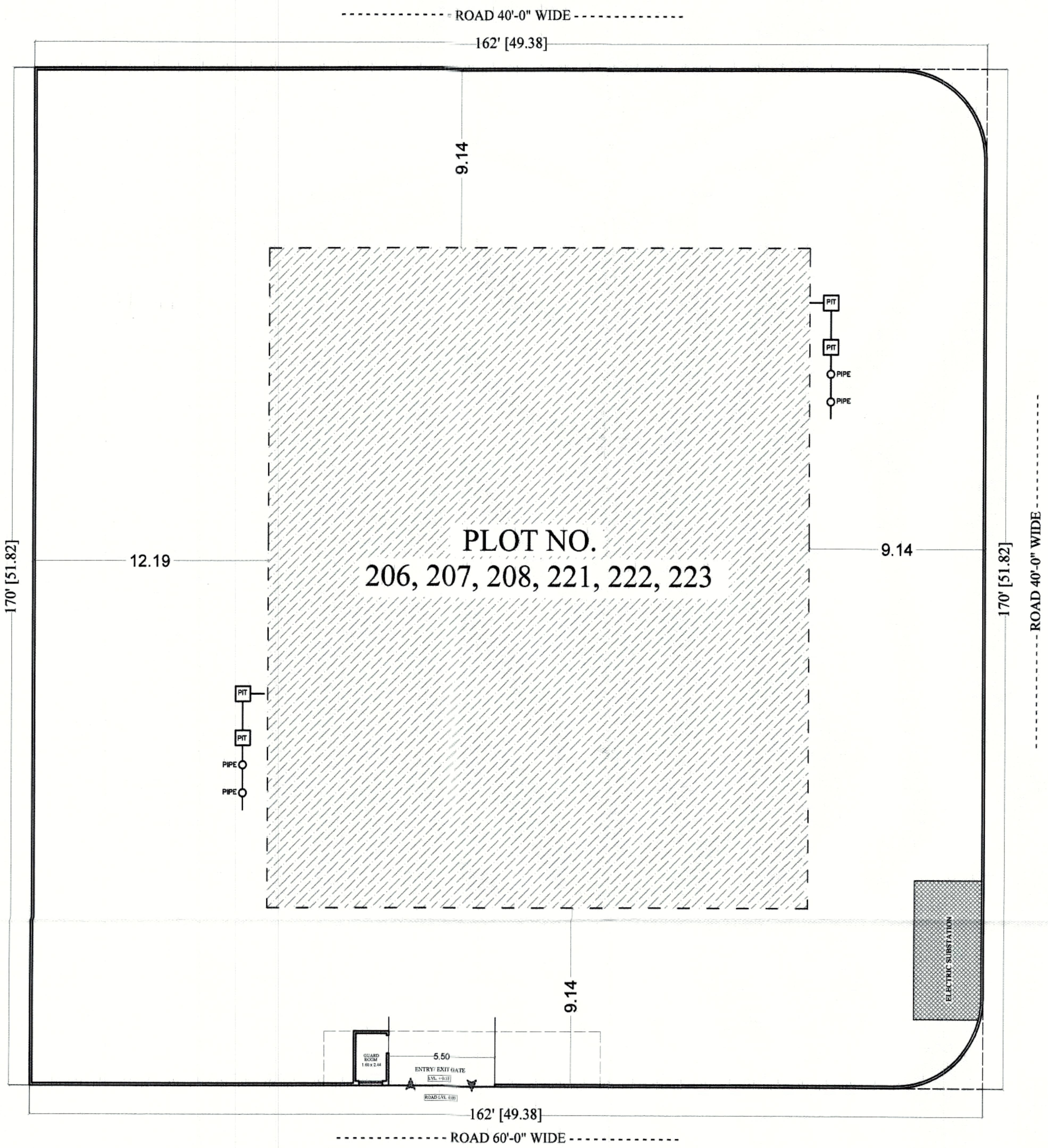


Foundation should be got construction checked at plinth level before proceeding further construction

| S.NO. | REFERENCE :- |
|---|---|
| 1. | TOTAL PLOT AREA = 2549.55 SQ.MT. (3049.24 SQ.YDS.) |
| 2. | STANDARD B.A.R. = 2549.55 X 2.00 = 5099.10 SQ.MT. |
| 3. | PROPOSED B.A.R. = 13429.81 SQ.MT. (5.26)<br>PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (13429.81) - (5099.10) = 8330.71 SQ.MT. |
| 4. | PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 40 % (1019.82 SQ. MT.) |
| 5. | PROPOSED GROUND COVERAGE = 38.98% (993.88 SQ. MT.)<br>1186.83 (Stilt Floor Gross Builtup) - 129.24 (Balcony\ Open Terrace) - 21.56 (Fireescape Staircase) - 33.35(Chajja) - 8.80 (Lift Well) = 993.88 Sq.Mt. |
| 6. | REQUIRED LANDSCAPE AREA ( 20 % ) = 509.90 SQ.MT. |
| 7. | PROPOSED LANDSCAPE AREA ( 20.00 % ) = 510.02 SQ.MT. |
| 8. | PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS =<br>PLINTH (1.20 ) + STILT (6.50) +(1.5 X Road Width + Front Setback) +7.75 (Mumty & Machine Room)<br>PLINTH (1.20 ) + STILT (6.50) + (1.5 x 18 + 9.00) +7.75<br>= 1.20 + 6.50 + 36.00 +7.75 = 54.45 M |
| 9. | PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.90)+STILT (3.96) + 36.00 + 6.00 (Mumty & Machine Room)<br>PLINTH (0.90)+ 39.96 +6.00 = 46.86 M |
| 10. | E.C.U. REQUIRED :-<br>RESIDENCIAL = 13429.81 / 115 = 116.78 + 10% (VISITOR PARKING)<br>E.C.U. = 128.45 (CAR = 97 , SCOOTER = 95) |
| 11. | E.C.U. PROPOSED :-<br>128.66 E.C.U.<br>CAR = 97 (Including 12 Mechanical Parking) , SCOOTER = 95 |
| 12. | ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 13<br>ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 13 |
| 13. | NUMBER OF FLATS/ UNITS = 96 |
| 14. | MAXIMUM B.A.R ON STILT FLOOR (30% OF STILT FLOOR AREA)<br>30% OF 1186.83 SQ.MT. = 356.04 SQ.MT.<br>PROPOSED B.A.R ON STILT FLOOR = 183.90 SQ.MT. |
| 15. | FACILITIES REQUIRED ON STILT FLOOR:-<br>REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (268.59 SQ.MT.)<br>OR 50.0 SQ.MT. ( WHICH EVER IS LESS )<br>PROPOSED FACILITIES ON STILT = 183.90 SQ.MT. ( 1.36 % ) |

| | CAR | SCOOTERS |
|---|---|---|
| Basement | 42 | 38 |
| Stilt Floor | 25+12 (Mechanical)= 37 | 51 |
| OPEN | 18 | 06 |
| TOTAL | 97 | 95 |

## SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN
## SCALE 1:200

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

| S.NO. | FLOOR | GROSS BUILTUP | SERVICE SHAFT | FIRE ESCAPE STAIR | ARCHITECTURAL ELEMENT | LIFT WELL | B.A.R. | FACILITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASEMENT FLOOR | 1670.53 | - | - | - | 8.80 | 41.59 | 41.59 |
| 2 | STILT FLOOR | 1186.83 | - | 21.56 | - | 8.80 | 183.90 | 183.90 |
| | GUARD ROOM | 5.09 | - | - | - | - | - | - |
| | ELECTRIC SUBSTATION | 24.93 | | | | | | |
| 3 | 1st FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 4 | 2nd FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 5 | 3rd FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 6 | 4th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 7 | 5th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 8 | 6th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 9 | 7th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 10 | 8th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 11 | 9th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 12 | 10th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 13 | 11th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 14 | 12th FLOOR | 1165.79 | 2.44 | 21.56 | 32.63 | 8.80 | 1100.36 | - |
| 15 | STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT | 406.76 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | TOTAL | 17283.62 | - | - | - | - | 13429.81 | |

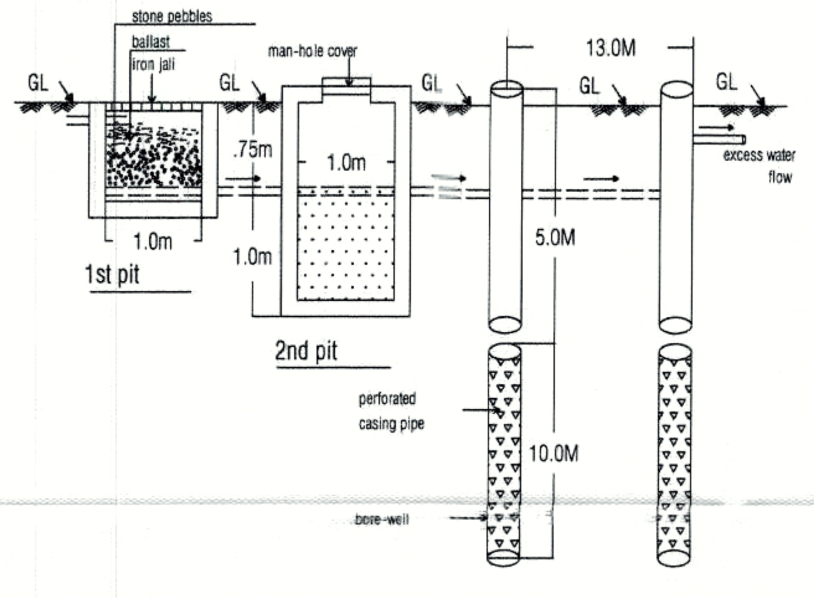


SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

[illegible]

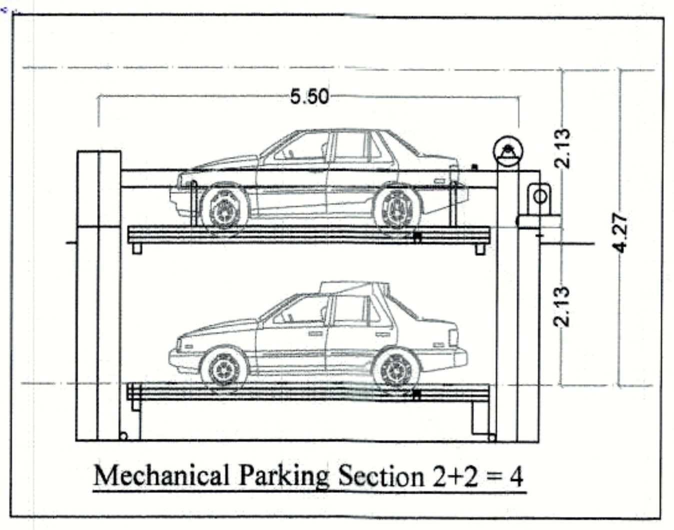


Mechanical Parking Section 2+2 = 4

[illegible]

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

S
E W
N

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223
XAVIER ARCADE, JAIPUR.

OWNER
JVJ DREAM DEVELOPERS LLP
Designated Partner

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-02

## BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

SCALE = 1:100

| | | | |
|---|---|---|---|
| S / E W / N | PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223 XAVIER ARCADE, JAIPUR. | OWNER VJ DREAM DEVELOPERS LLP Designated Partner | ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com |

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/98/25437

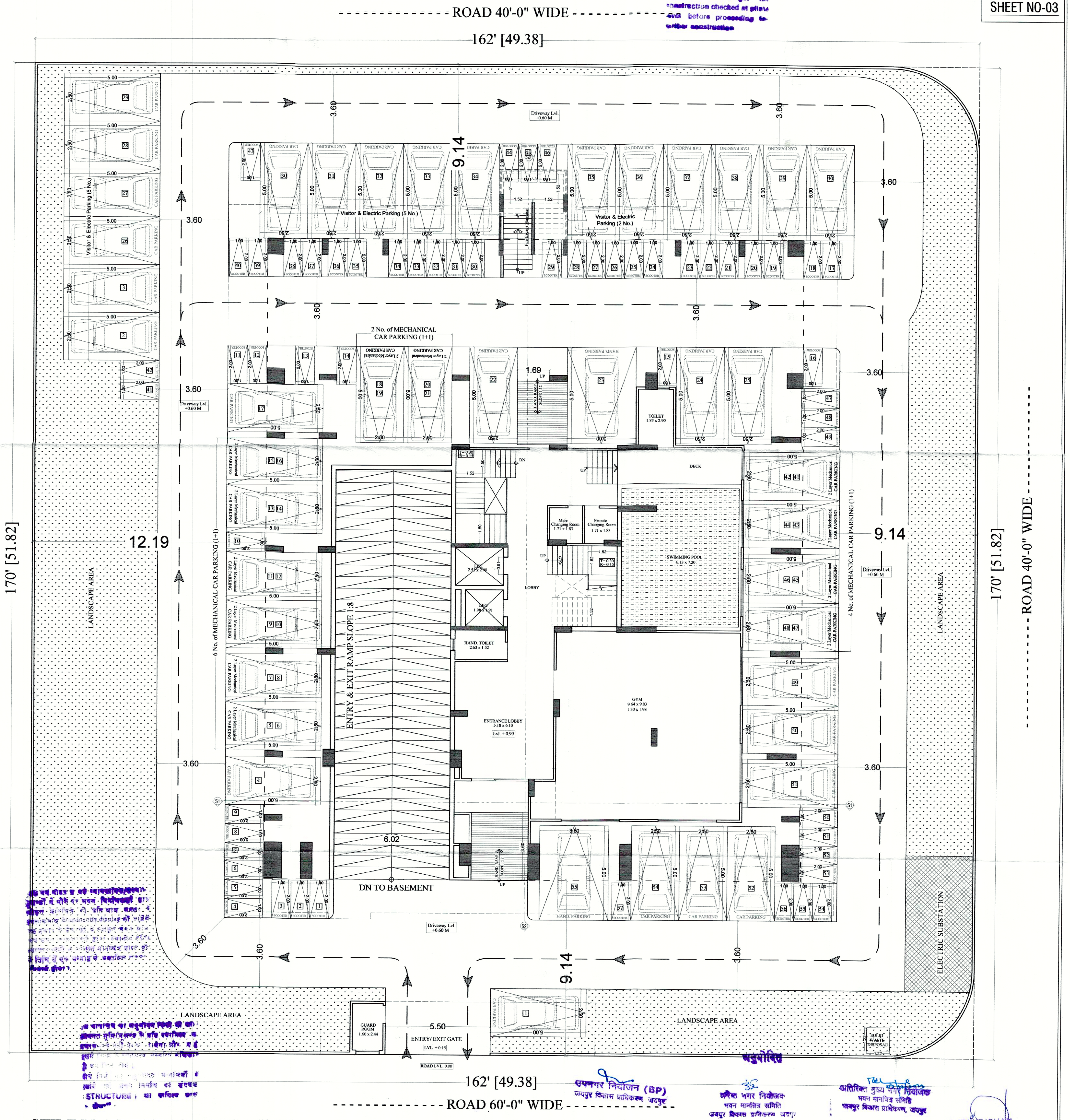


उपनगर नियोजन (BP) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक भवन मानचित्र समिति जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक भवन मानचित्र समिति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451

# STILT PLAN WITH CIRCULATION

SCALE = 1:100

| S E W N | PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223 XAVIER ARCADE, JAIPUR. | OWNER JVJ DREAM DEVELOPERS LLP Designated Partner | ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com |
|---|---|---|---|

SHEET NO-04

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

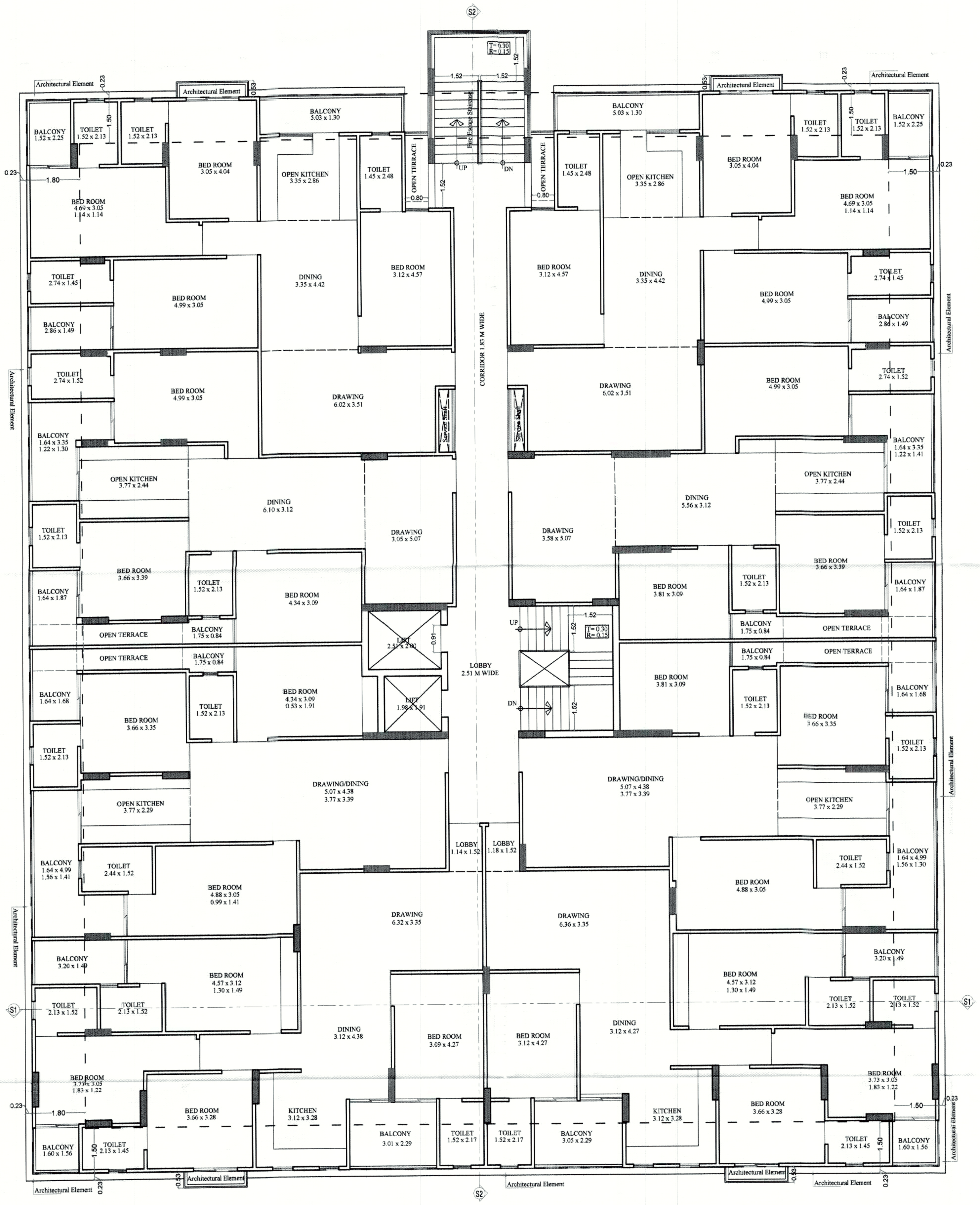

1st FLOOR PLAN

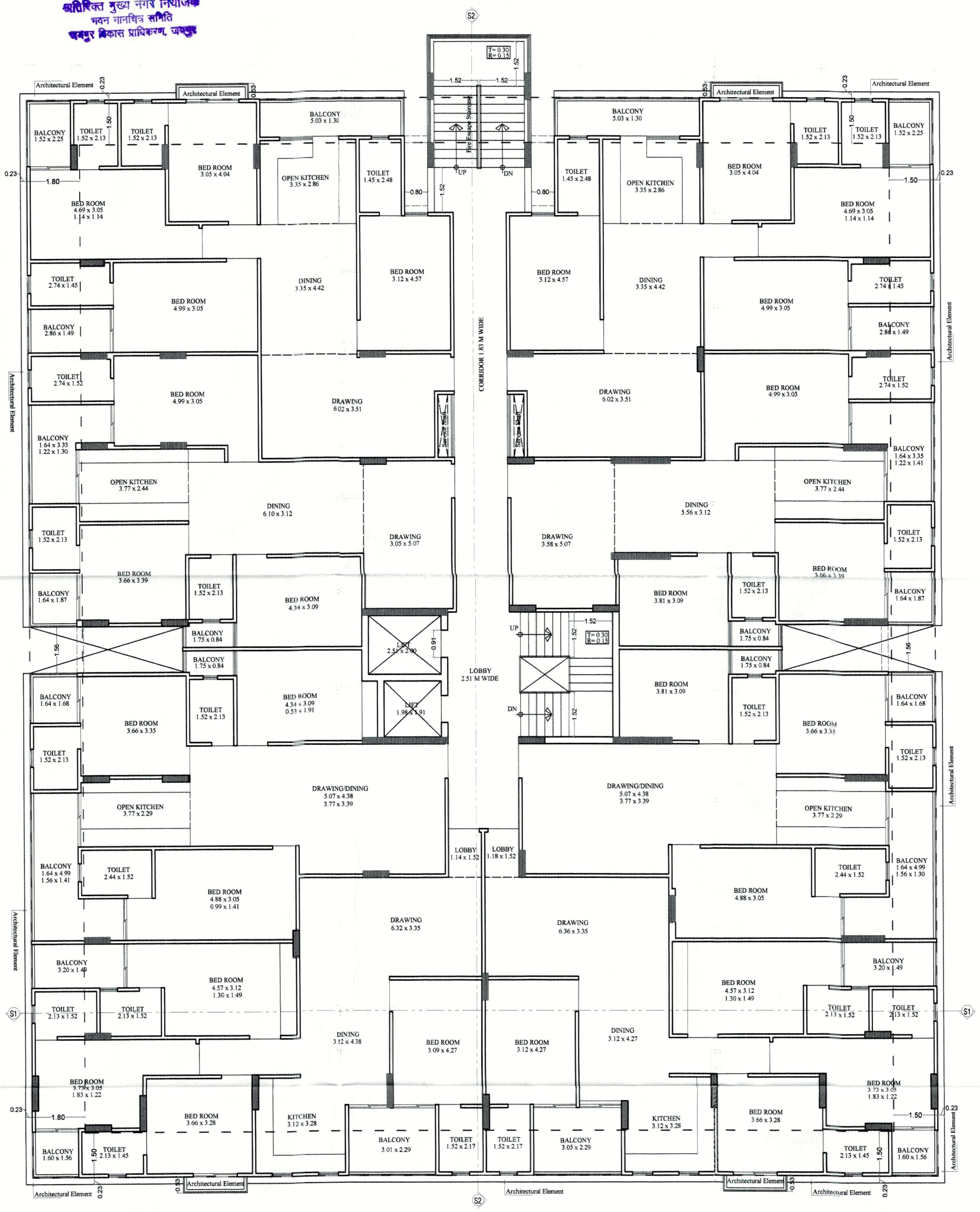

2nd to 11th FLOOR PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

| | PROJECT :- | OWNER | ARCHITECT :- |
|---|---|---|---|
| S E W N | PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223 XAVIER ARCADE, JAIPUR. | JVJ DR[illegible] Designated Partner | SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com |

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

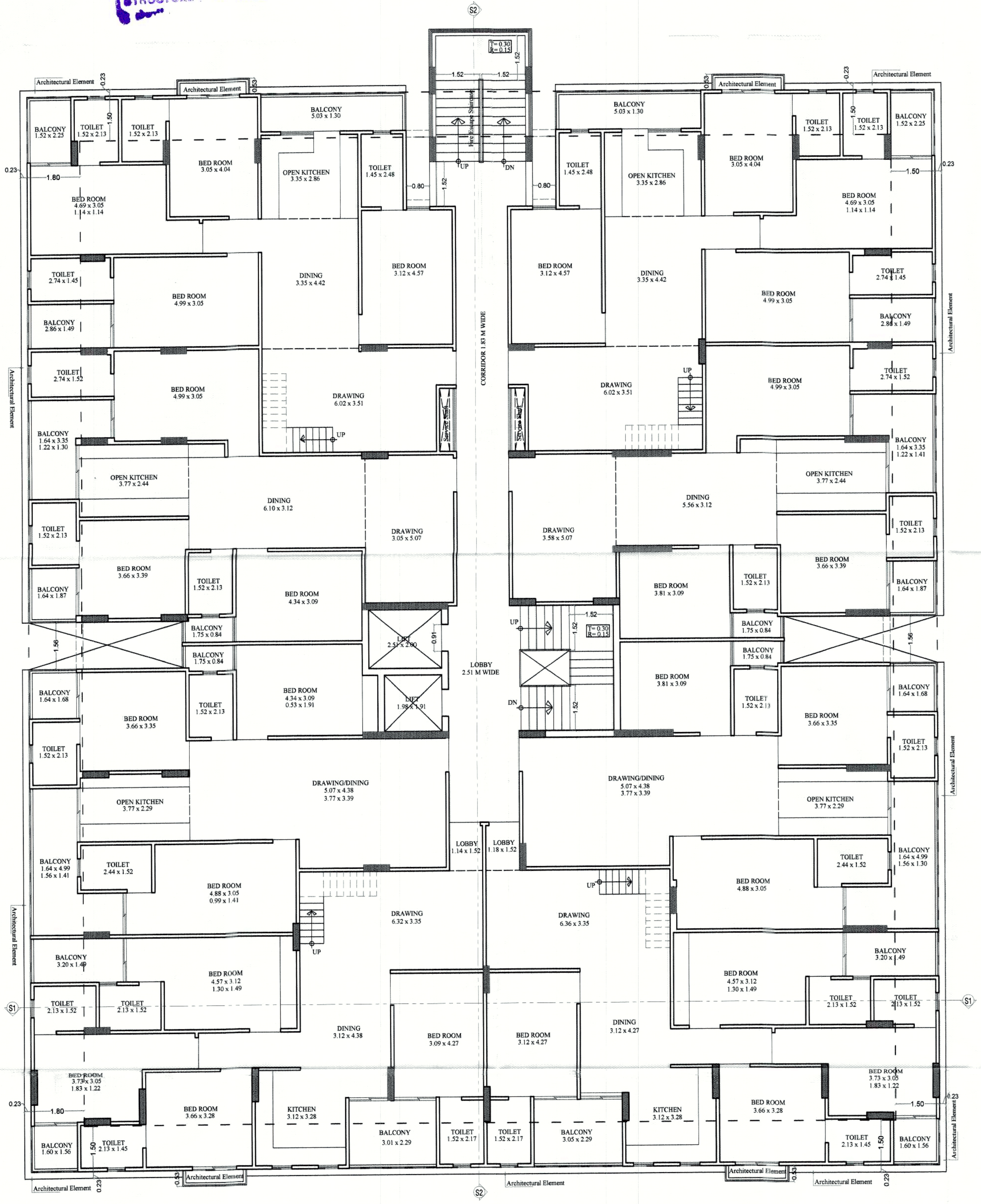


12th FLOOR PLAN

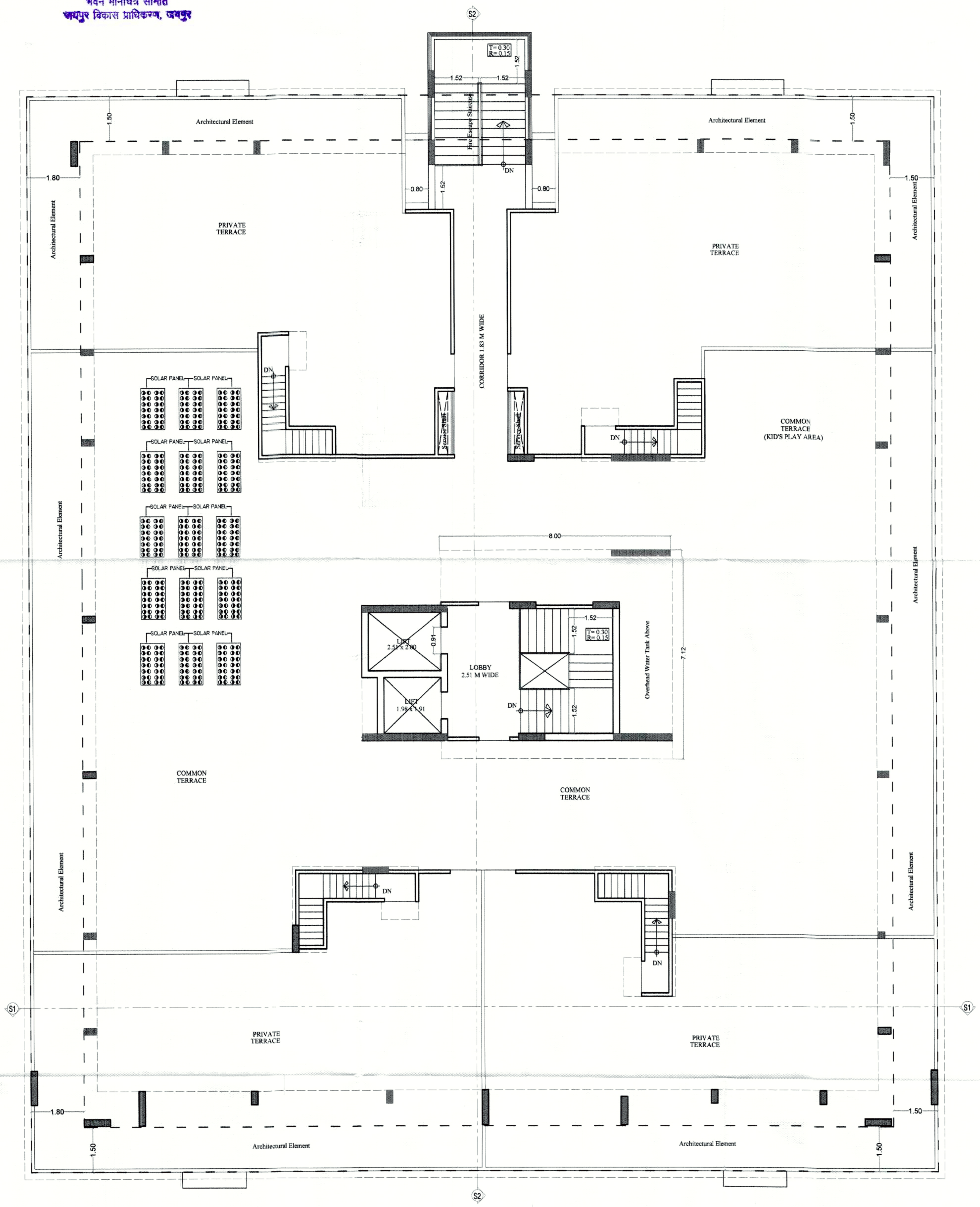


TERRACE PLAN

| | |
|---|---|
| TERRACE FLOOR AREA =1149.70 sq .mt. | |
| REQUIRE 25 % COMMON AREA = 287.42 Sq.mt.<br>PROPOSED COMMON TERRACE = 579.21 Sq.mt. (50.37%) | |

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223
XAVIER ARCADE, JAIPUR.

OWNER
JVJ DREAM DEVELOPERS LLP
Designated Partner

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-07

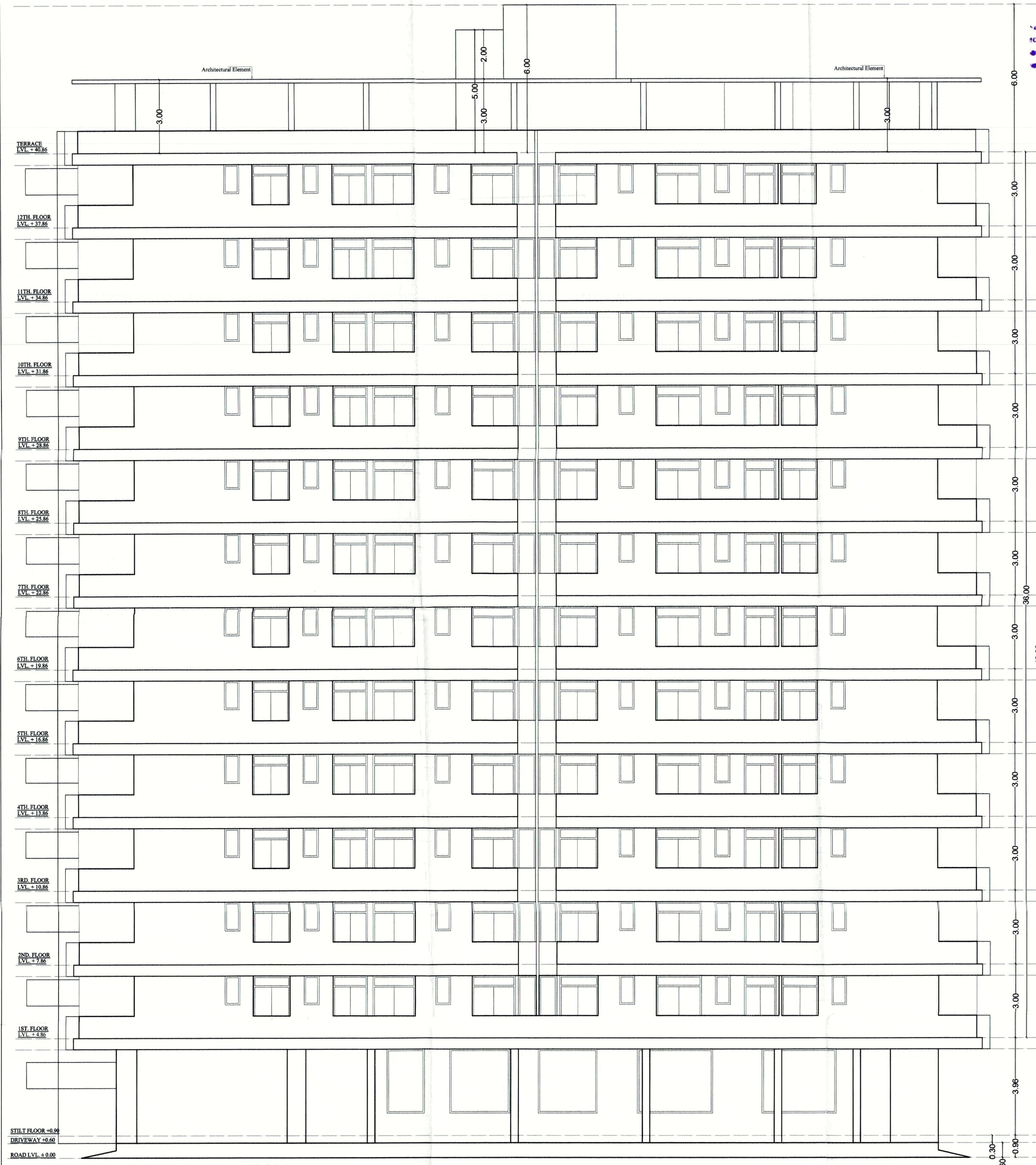


LEFT ELEVATION

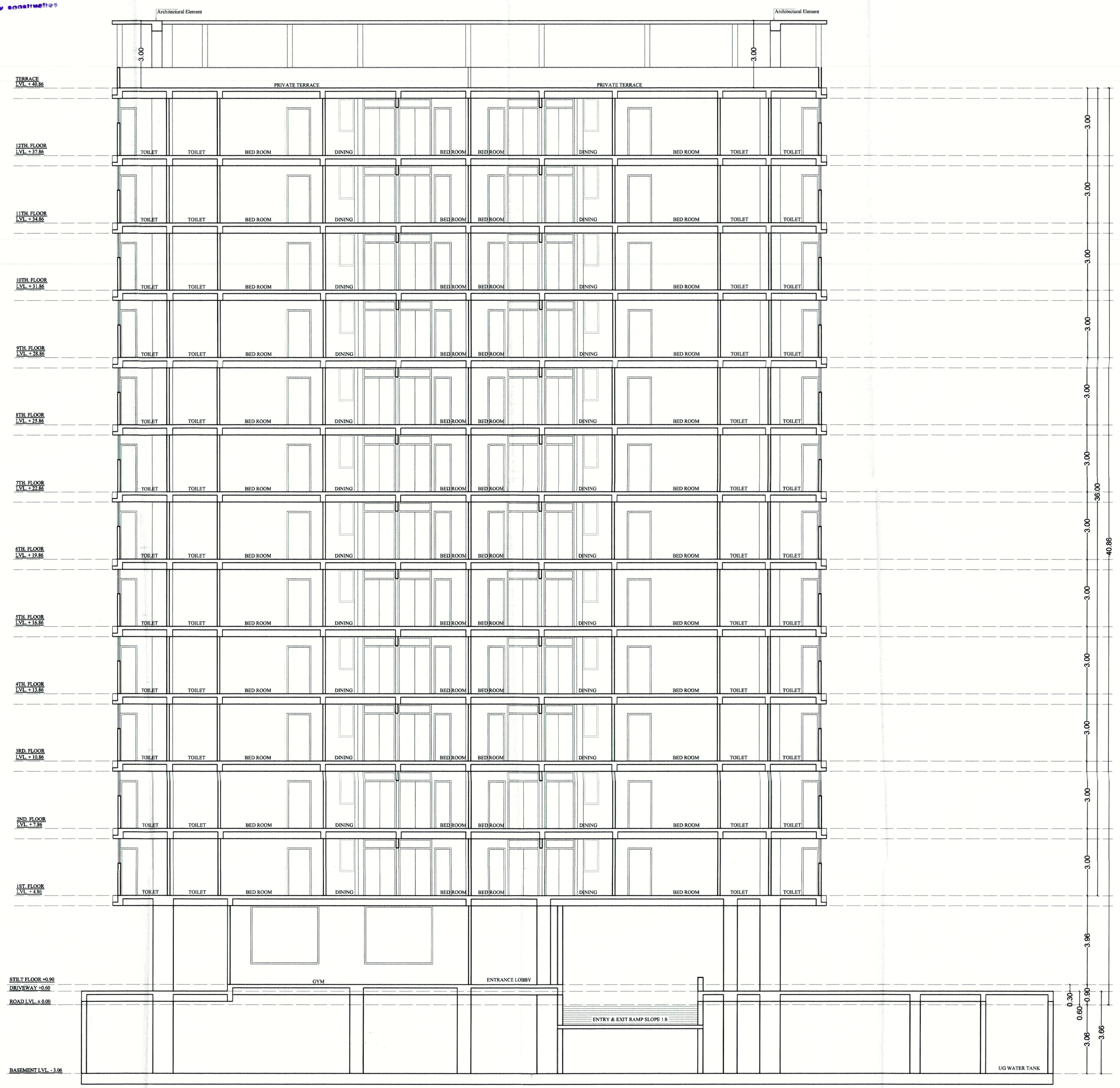


SECTION S1 - S1

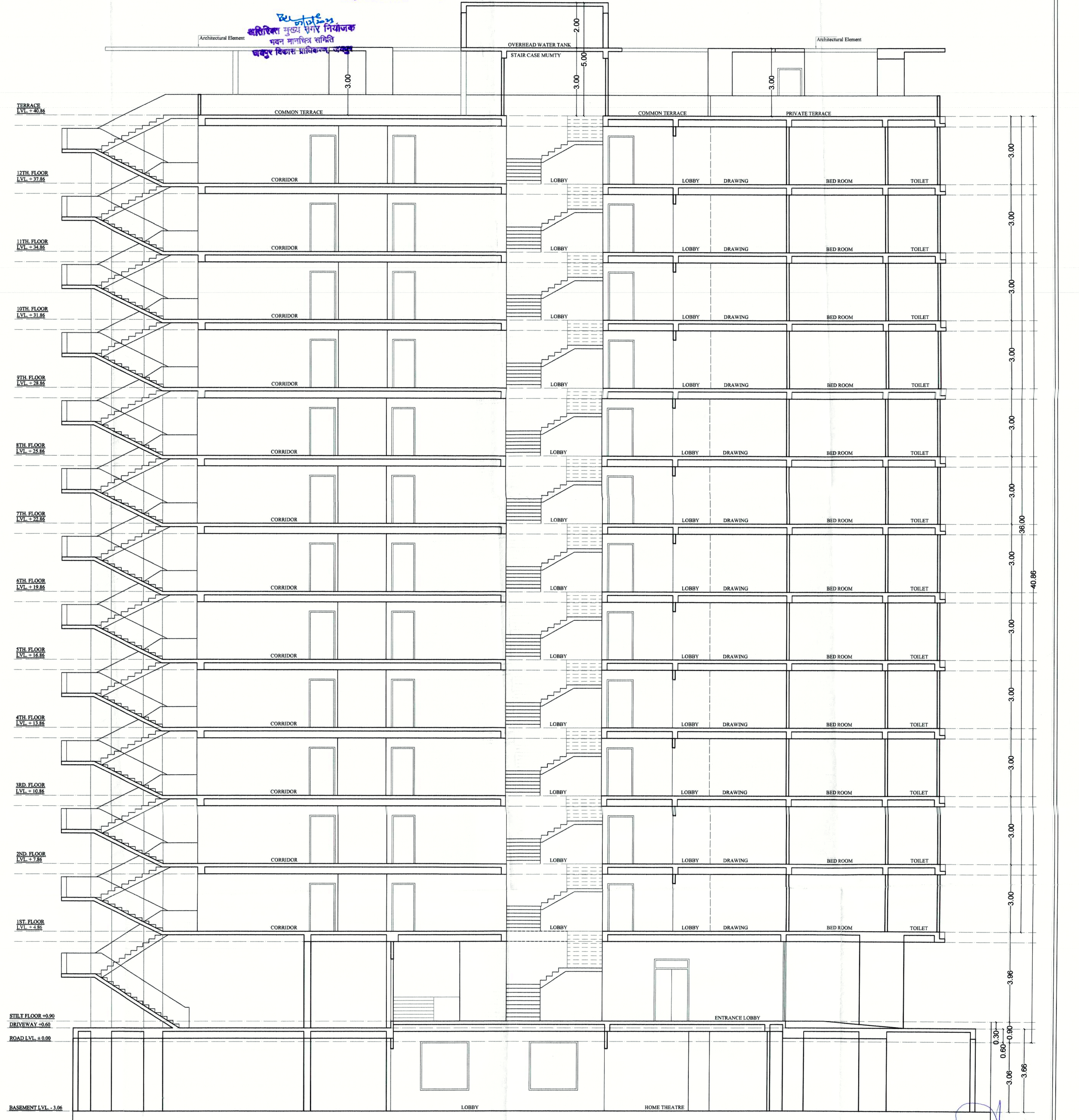


SECTION S2 - S2

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/2545

SCALE = 1:100

| PROJECT :- | OWNER | ARCHITECT :- |
|---|---|---|
| PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223 XAVIER ARCADE, JAIPUR. | JVJ DREAM DEVELOPERS Designated Partner | SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com |

SHEET NO-06

FRONT ELEVATION

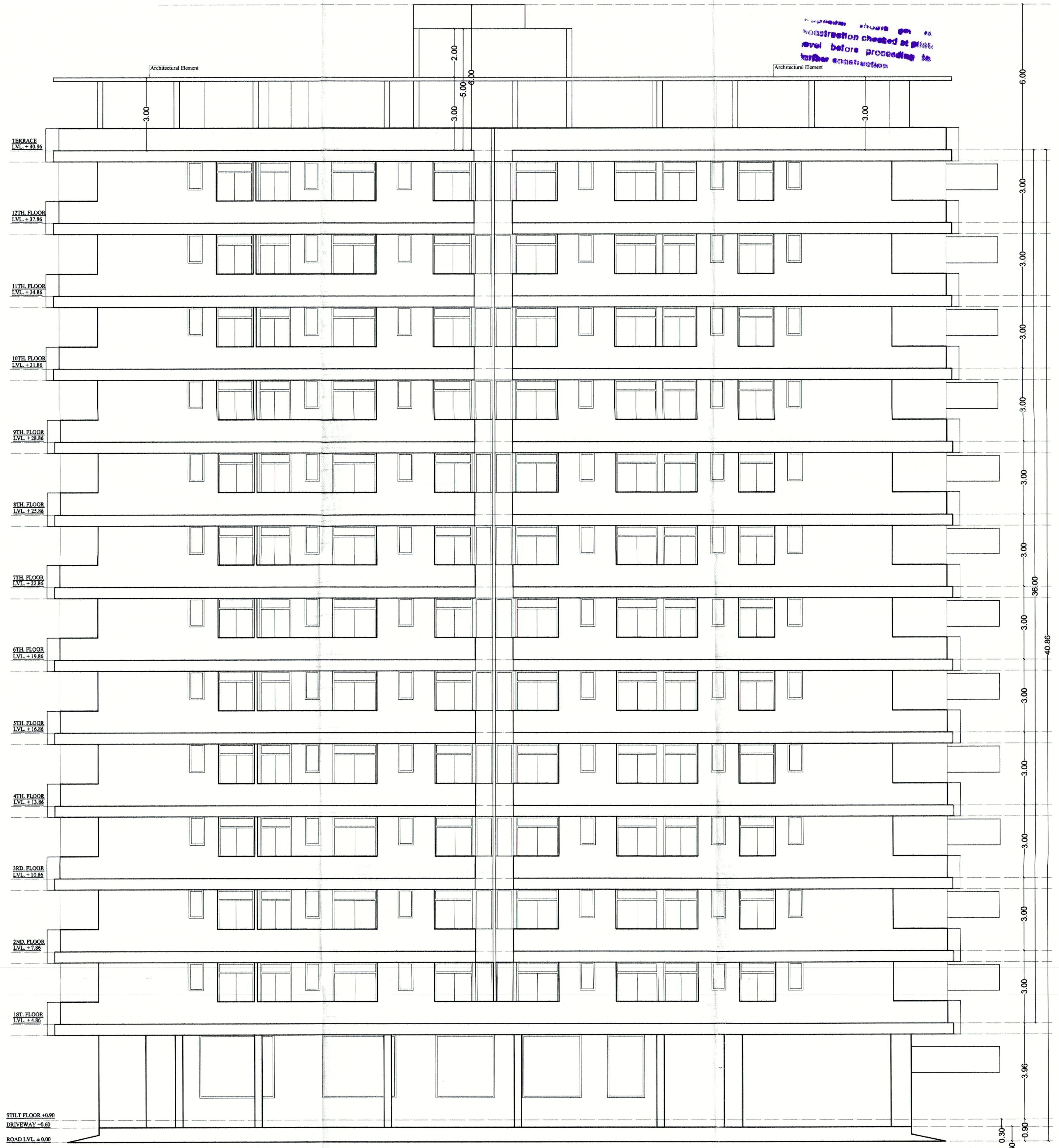

RIGHT ELEVATION

REAR ELEVATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

| PROJECT :- | OWNER | ARCHITECT :- |
| --- | --- | --- |
| PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO = 206, 207, 208, 221, 222, 223 XAVIER ARCADE, JAIPUR. | JVJ DREAM DEVELOPERS LLP<br>Designated Partner | SPACE GRID<br>C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,<br>BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,<br>JAIPUR-302015<br>PH-09314918766,0141-4005506 (O)<br>Email:-info.spacegrid@gmail.com |

# SPACE GRID ARCHITECTS

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR
JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,
0141-4005506 (O) Email: -info.spacegrid@gmail.com


## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In reference to Project "**JVJ SILICON VALLEY**" situated at Plot No. 206, 207, 208, 221, 222, 223 Xavier Arcade, Jaipur.

I, Shri Krishan, architect of the Project does solemnly declare that the open area in the project is as follows: -

| | Area (in sqm) |
|---|---|
| Plot Area (A) | 2549.55 |
| Stilt Floor Area Without Projection (B) | 940.18 |
| Guard Room Area (C) | 5.09 |
| Total Open Area [A-(B+C)] | 1604.28 |

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451